

सं० 27/02/2008-एस०आर०(एस०)Vol.III

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत, तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 10 दिसम्बर, 2008

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

2. मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड सरकार,
देहरादून ।


विषय:- राज्य परामर्शदात्री समिति की 01.07.2008को आयोजित बैठक के अनुशंसा आधारित राज्य आबंटन-श्री परमजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, का उत्तराखण्ड आबंटन विषयक ।

महोदय,

राज्य परामर्शदात्री समिति, उत्तर प्रदेश की 01.07.2008 को आयोजित बैठक में लम्बित मामलों से निम्न लिखित कार्मिक के सुविचारित एवं अनुशंसित अभ्यावेदन पर सावधानी पूर्वक विचार किए जाने के बाद केन्द्र सरकार ने इस अधिकारी के संबंध में अंतिम आबंटन इनके नाम के सामने दर्शाए गये राज्य में करने का निर्णय लिया है । :-


<u>नाम एवं पदनाम</u>	<u>आबंटित राज्य</u>	<u>आधार</u>
श्री परमजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	उत्तराखण्ड	प्रोजेक्ट पद में होने के कारण

2. भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय से संबंधित अधिकारी को अवगत करवा दें ।

भवदीय,

(वी० पद्मना)
उपसचिव, भारत सरकार ।

प्रतिलिपि प्रेषित-

- श्री आर० एम० श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विभाग लखनऊ ।
- श्री शतृघ्न सिंह, सचिव, उत्तराखण्ड राज्य पुनर्गठन विभाग देहरादून ।


(वी० पद्मना)
उप सचिव, भारत सरकार ।

1125
10/12/08

